

पत्र संख्या-11/आ०नी०-I-10/2023 सा.प्र. 14396

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो० सिराजुद्दीन अंसारी,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।  
सभी विभागाध्यक्ष।  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।  
सभी जिला पदाधिकारी।  
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।  
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।  
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।  
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।  
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद।  
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।  
सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना।  
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।  
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।  
सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- 10.09.24

विषय :- रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में अद्यतन दिशा-निदेश।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार अधिनियम-17/2002 एवं बिहार अधिनियम-02/2019 द्वारा राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षित वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई कर विभिन्न नियुक्ति आयागों को अधियाचना प्रेषित करने की कार्रवाई की जाती है। उक्त क्रम में विभिन्न विभागों से रोस्टर क्लियरेंस के क्रम में कतिपय पृच्छाएँ की जाती रही हैं, जिसके संबंध में निम्नांकित अद्यतन दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

(i) नियुक्ति हेतु प्रथम समव्यवहार अथवा कार्यरत बल शून्य हो, में बैकलॉग की स्थिति नहीं बनती है, अतः रोस्टर बिन्दु-01 से प्रारम्भ कर संलग्न मॉडल रोस्टर (एनेक्सचर-1) के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जायेगी।

(ii) बिहार अधिनियम-11/1993 द्वारा प्रावधानित पिछड़े वर्गों की महिला से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़े वर्गों की महिलायें।

(iii) ऐसे छोटे स्थापना वाले संवर्ग, जिसमें आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पद अनुमान्य कराने में कठिनाई हो रही हो, ऐसी स्थिति में रनिंग रोस्टर (अर्थात् यथास्थिति रोस्टर बिन्दु) के अनुसार रोस्टर किलयरेस की कार्रवाई की जा सकेगी।

(iv) महिलाओं को 35% क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के तहत गैर आरक्षित/आरक्षित कोटिवार पद उपलब्ध कराने के क्रम में ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण के अन्तर्गत गैर आरक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य पदों (रिक्तियों) के विरुद्ध 35% की दर से पदों की गणना महिलाओं के लिए की जायेगी। कम से कम 03 (दो में नहीं) पदों के विरुद्ध महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत 01 पद अनुमान्य कराया जा सकेगा। इस क्रम में भिन्नांक 0.01 से 0.49 तक को 0 (शून्य) तथा 0.50 से 0.99 तक को 01 (एक) माना जायेगा। उदाहरण स्वरूप  $1.49 = 01$  तथा  $1.50 = 02$  माना जायेगा।

यदि कई समव्यवहारों में रोस्टर किलयरेस की कार्रवाई की जाती है अथवा विभिन्न विभाग अलग-अलग अधियाचना भेजते हैं, जिसके आधार पर आयोग/अनुशंसी संस्थाएं समेकित रूप से विज्ञापन प्रकाशित करती हैं, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत पदों की गणना समव्यवहार (Transaction) वार अथवा विभागवार की जायेगी, न कि समेकित रूप से। यही व्यवस्था स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों एवं दिव्यांगजनों के संबंध में भी लागू होगी।

(v) बैकलॉग/कैरीफावर्ड मात्र आरक्षित वर्गों के संदर्भ में होता है। समेकित रूप से बैकलॉग/कैरीफावर्ड की स्थिति आने पर बैकलॉग/कैरीफावर्ड की गणना कार्यरत UR X 2 X संबंधित कोटि का आरक्षण प्रतिशत के अनुसार की जायेगी। बैकलॉग/कैरीफावर्ड की गणना मात्र कोटिवार कार्यरत बल के आधार पर की जाती है। कार्यरत गैर आरक्षित वर्ग का दुगुना अर्थात् UR X 2 करने पर यदि यह संख्या कुल स्थीकृत बल से अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मात्र कुल कार्यरत बल के आधार पर ही आरक्षण प्रतिशत के अनुसार बैकलॉग/कैरीफावर्ड की गणना की जाएगी।

(vi) रोस्टर पंजी में जिस बिन्दु तक रोस्टर बिन्दु व्यवहृत हो चुका है, उसके ठीक बाद वाले रोस्टर बिन्दु से विभागीय परिपत्र संख्या-9432 दिनांक-14.06.2024 द्वारा परिचारित रोस्टर पंजी संधारण संबंधी विहित प्रपत्र के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उदाहरणस्वरूप— यदि रोस्टर बिन्दु-25 तक व्यवहृत हो चुकी है, तो अगली कार्रवाही रोस्टर बिन्दु-26 से प्रारंभ की जाएगी।

(vii) 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर एनेक्सचर-1, बैकलॉग/कैरीफावर्ड सहित रोस्टर किलयरेस का नमूना एनेक्सचर-2 एवं बैकलॉग/कैरीफावर्ड रहित रोस्टर किलयरेस का नमूना एनेक्सचर-3 के रूप में संलग्न है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन



(मो० सिराजुद्दीन अंसारी)  
सरकार के अवर सचिव।

**बिहार अधिनियम-17, 2002 एवं बिहार अधिनियम-02, 2019 के आलोक में 100 बिन्दुओं का  
मॉडल रोस्टर :-**

**एनेक्सचर-1**

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. गेर आरक्षित                | 51. गेर आरक्षित               |
| 2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग        | 52. पिछड़े वर्गों की महिलाएं  |
| 3. गेर आरक्षित                | 53. गेर आरक्षित               |
| 4. अनुसूचित जाति              | 54. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग       |
| 5. गेर आरक्षित                | 55. गेर आरक्षित               |
| 6. पिछड़ा वर्ग                | 56. अनुसूचित जाति             |
| 7. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग  | 57. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग |
| 8. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग        | 58. पिछड़ा वर्ग               |
| 9. गेर आरक्षित                | 59. गेर आरक्षित               |
| 10. अनुसूचित जाति             | 60. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग       |
| 11. गेर आरक्षित               | 61. गेर आरक्षित               |
| 12. पिछड़ा वर्ग               | 62. अनुसूचित जाति             |
| 13. गेर आरक्षित               | 63. गेर आरक्षित               |
| 14. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग       | 64. पिछड़ा वर्ग               |
| 15. गेर आरक्षित               | 65. गेर आरक्षित               |
| 16. अनुसूचित जाति             | 66. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग       |
| 17. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग | 67. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग |
| 18. पिछड़े वर्गों की महिलाएं  | 68. अनुसूचित जाति             |
| 19. अनुसूचित जनजाति           | 69. गेर आरक्षित               |
| 20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग       | 70. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग       |
| 21. गेर आरक्षित               | 71. गेर आरक्षित               |
| 22. पिछड़ा वर्ग               | 72. पिछड़ा वर्ग               |
| 23. गेर आरक्षित               | 73. गेर आरक्षित               |
| 24. अनुसूचित जाति             | 74. अनुसूचित जाति             |
| 25. गेर आरक्षित               | 75. गेर आरक्षित               |
| 26. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग       | 76. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग       |
| 27. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग | 77. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग |
| 28. अनुसूचित जाति             | 78. अनुसूचित जाति             |
| 29. गेर आरक्षित               | 79. गेर आरक्षित               |
| 30. पिछड़ा वर्ग               | 80. पिछड़ा वर्ग               |
| 31. गेर आरक्षित               | 81. गेर आरक्षित               |
| 32. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग       | 82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग       |
| 33. गेर आरक्षित               | 83. गेर आरक्षित               |
| 34. अनुसूचित जाति             | 84. पिछड़े वर्गों की महिलाएं  |
| 35. गेर आरक्षित               | 85. गेर आरक्षित               |
| 36. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग       | 86. अनुसूचित जाति             |
| 37. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग | 87. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग |
| 38. पिछड़ा वर्ग               | 88. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग       |
| 39. गेर आरक्षित               | 89. गेर आरक्षित               |
| 40. अनुसूचित जाति             | 90. पिछड़ा वर्ग               |
| 41. गेर आरक्षित               | 91. गेर आरक्षित               |
| 42. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग       | 92. अनुसूचित जाति             |
| 43. गेर आरक्षित               | 93. गेर आरक्षित               |
| 44. गेर आरक्षित               | 94. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग       |
| 45. गेर आरक्षित               | 95. गेर आरक्षित               |
| 46. पिछड़ा वर्ग               | 96. पिछड़ा वर्ग               |
| 47. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग | 97. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग |
| 48. अनुसूचित जाति             | 98. अनुसूचित जाति             |
| 49. गेर आरक्षित               | 99. गेर आरक्षित               |
| 50. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग       | 100. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग      |

### एनेक्सर-2

**बिहार अधिनियम-17/2002 एवं बिहार अधिनियम-2/2019 के आलोक में  
बैकलॉग सहित रोस्टर विलयरेस का नमूना**

किसी स्थापना द्वारा प्रतिवेदित सूचनानुसार वस्तुस्थिति निम्नवत है—

- (i) कुल स्वीकृत बल— 153
- (ii) कोटिवार कार्यरत — 70 (गैर आरक्षित वर्ग-56, अनुसूचित जाति-4, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-1, पिछड़ा वर्ग-7 एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें-2)
- (iii) शुद्ध रिक्ति—  $153 - 70 = 83$
- (iv) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु—199

2. प्रस्तुत समव्यवहार में गैर आरक्षित वर्ग (56) के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग (14) के कार्यरत कर्मियों की संख्या से अधिक है। अतः समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति बनती है। इस प्रकार वर्तमान में कुल रिक्त 83 पदों का रोस्टर बिन्दु—200 से 282 तक के विरुद्ध रोस्टर विलयरेस करने का प्रस्ताव है।

#### बैकलॉग की गणना

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	बैकलॉग (कॉलम 2-3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	$56 \times 2 \times 16\% = 17.92 = 18$	4	14
अनुसूचित जनजाति	$56 \times 2 \times 1\% = 1.12 = 1$	0	1
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	$56 \times 2 \times 18\% = 20.16 = 20$	1	19
पिछड़ा वर्ग	$56 \times 2 \times 12\% = 13.44 = 14$	7	7
पिछड़े वर्गों की महिलायें	$56 \times 2 \times 3\% = 3.36 = 3$	2	1

कुल बैकलॉग—42

शुद्ध रिक्ति =  $83 - 42 = 41$

#### कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत + बैकलॉग	रिक्ति कॉलम (2-3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	$153 \times 16\% = 24.48 = 24$	$4 + 14 = 18$	6
अनुसूचित जनजाति	$153 \times 1\% = 1.53 = 1$	$0 + 1 = 1$	0
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	$153 \times 18\% = 27.54 = 28$	$1 + 19 = 20$	8
पिछड़ा वर्ग	$153 \times 12\% = 18.36 = 18$	$7 + 7 = 14$	4
पिछड़े वर्गों की महिलायें	$153 \times 3\% = 4.59 = 5$	$2 + 1 = 3$	2

कुल—76

56

20

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं गैर आरक्षित वर्ग के लिए अनुमान्य पद :— आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए अनुमान्य रिक्ति की गणना शुद्ध रिक्ति के आधार पर की जाती है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग गैर आरक्षित वर्ग	शुद्ध रिप्रिट का 10% = $41 \times 10\% = 4.10$  शुद्ध रिप्रिट - (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग + आरक्षित वर्ग को अनुमान्य पद) = $41 - (4 + 20) = 17$	4  17
--	---	-------------

3. तदनुसार कुल रिक्त 83 पदों का रोस्टर बिन्दु-200 से 282 तक आच्छादित होने वाला रोस्टर क्लियरेस निम्नवत् प्रस्तावित है :-

(क) बैकलॉग रिक्ति हेतु अनुमान्य पद-

अनुसूचित जाति— रोस्टर बिन्दु-200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 एवं 213 = 14 पद।

अनुसूचित जनजाति— रोस्टर बिन्दु-214 = 01 पद।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग—रोस्टर बिन्दु-215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 एवं 233 = 19 पद।

पिछड़े वर्गों की महिलायें—रोस्टर बिन्दु-241 = 01 पद।

(ख) चालू रिक्ति हेतु अनुमान्य पद—

अनुसूचित जाति— रोस्टर बिन्दु-248, 256, 262, 268, 274 एवं 278 = 06 पद।

(यहाँ अनुसूचित जाति को 6 पद प्राप्त हो रहा है। अतएव अनुसूचित जाति की महिला को क्षेत्रिज आरक्षण के तहत  $6 \times 35\% = 2.1 = 2$  पद अनुमान्य होगा।)

अत्यंत पिछड़ा वर्ग—रोस्टर बिन्दु-242, 250, 254, 260, 266, 270, 276 एवं 282 = 08 पद।

(यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 8 पद प्राप्त हो रहा है। अतएव अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षेत्रिज आरक्षण के तहत  $8 \times 35\% = 2.8 = 3$  पद अनुमान्य होगा।)

पिछड़ा वर्ग—रोस्टर बिन्दु-246, 258, 264 एवं 272 = 04 पद।

(यहाँ पिछड़ा वर्ग को 4 पद प्राप्त हो रहा है। अतएव पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षेत्रिज आरक्षण के तहत  $4 \times 35\% = 1.4 = 1$  पद अनुमान्य होगा।)

पिछड़े वर्गों की महिलायें—रोस्टर बिन्दु-252 एवं 280 = 02 पद।

(यथापि रोस्टर बिन्दु-280 पिछड़ा वर्ग के लिए कण्ठित है, परन्तु इनका कोटा पूर्ण होने तथा अनुमान्यतागुसार उक्त रोस्टर बिन्दु पिछड़े वर्गों की महिलायें को अनुमान्य कराया गया है।)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग—रोस्टर बिन्दु-247, 257, 267 एवं 277 = 04 पद।

(यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 पद प्राप्त हो रहा है। अतएव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को क्षेत्रिज आरक्षण के तहत  $4 \times 35\% = 1.4 = 1$  पद अनुमान्य होगा।)

गैर आरक्षित वर्ग—रोस्टर बिन्दु-243, 244, 245, 249, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 279 एवं 281 = 17 पद।

(यहाँ गैर आरक्षित वर्ग को 17 पद प्राप्त हो रहा है। अतएव गैर आरक्षित वर्ग की महिला को क्षेत्रिज आरक्षण के तहत  $17 \times 35\% = 5.95 = 6$  पद अनुमान्य होगा।)

उपर्युक्त अनुमान्य कराये गए पदों में विभागीय संकल्प संख्या-962 दिनांक-22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षेत्रिज आरक्षण के अन्तर्गत निम्नवत् क्षेत्रिज आरक्षण देय होगा : -

लेस्टर बिन्दु	अध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को	बघिर और श्रवण शक्ति में डास दिव्यांगता को	चलते दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रभस्तिक धात, रोगमुक्त कुष्ठ, दौनापन, तेजाव आळमण से पीड़ित और पेशीय दुष्प्रापण को	स्वपरायणता, बीद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक लग्नता / संकल्प संख्या-962 दिनांक-22.01.2021 की कठिका-(८) के खण्ड-(क) से खण्ड-(घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को	कुल
242 से 281	0	0	1	0	1
कुल	0	0	1	0	1

विभागीय परिपत्र संख्या-2526 दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 1 (एक) पद क्षेत्रिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा।

### एनेकसर-3

**बिहार अधिनियम-17/2002 एवं बिहार अधिनियम-2/2019 के आलोक में  
बैकलॉग रहित रोस्टर विलयरेस का नमूना**

किसी स्थापना द्वारा प्रतिवेदित सूचनानुसार वस्तुस्थिति निम्नवत है—

- (i) कुल स्वीकृत बल— 131
- (ii) कोटिवार कार्यरत — 56 (गैर आरक्षित वर्ग-28, अनुसूचित जाति-4, अनुसूचित जनजाति-1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-9, पिछड़ा वर्ग-12 एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें-2)
- (iii) शुद्ध रिक्ति— 131 — 56 = 75
- (iv) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु—186

2. प्रस्तुत समव्यवहार में गैर आरक्षित वर्ग (28) के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग (28) के कार्यरत कर्मियों की संख्या के बराबर है। अतः समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति नहीं बनती है। इस प्रकार वर्तमान में कुल रिक्त 75 पदों का रोस्टर बिन्दु—187 से 261 तक के विलम्ब रोस्टर विलयरेस करने का प्रस्ताव है।

#### कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	रिक्ति कॉलम (2-3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	$131 \times 16\% = 20.96 = 21$	4	17
अनुसूचित जनजाति	$131 \times 1\% = 1.31 = 1$	1	0
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	$131 \times 18\% = 23.58 = 23$	9	14
पिछड़ा वर्ग	$131 \times 12\% = 15.72 = 16$	12	4
पिछड़े वर्गों की महिलायें	$131 \times 3\% = 3.93 = 4$	2	2
कुल—65		28	37

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं गैर आरक्षित वर्ग के लिए अनुमान्य पद — आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनुमान्य रिक्ति की गणना चालू रिक्ति के आधार पर की जाती है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	चालू रिक्ति का 10% = $75 \times 10\% = 7.50$	8
गैर आरक्षित वर्ग	चालू रिक्ति — (आरक्षित वर्ग + आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अनुमान्य पद) = $75 - (37 + 8) = 30$	30

3. तदनुसार कुल रिक्त 75 पदों का रोस्टर बिन्दु—187 से 261 तक आच्छादित होने वाला रोस्टर विलयरेस निम्नवत् प्रस्तावित है :—

**अनुसूचित जाति— रोस्टर बिन्दु—192, 198, 204, 210, 216, 222, 224, 228, 230, 234, 238, 240, 246, 248, 256, 258 एवं 261 = 17 पद।**

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु—222, 230, 238, 246 एवं 258 पिछड़ा वर्ग एवं रोस्टर बिन्दु—261 गैर आरक्षित वर्ग के लिए कणाकित है, परन्तु इनका कोटा पूर्ण होने तथा अनुमान्यतानुसार उक्त रोस्टर बिन्दु अनुसूचित जाति को अनुमान्य कराया गया है।)

(यहाँ अनुसूचित जाति को 17 पद प्राप्त हो रहा है। अतएव अनुसूचित जाति की महिला को क्षेत्रिज आरक्षण के तहत  $17 \times 35\% = 5.95 = 6$  पद अनुमान्य होगा।)

**अत्यंत पिछड़ा वर्ग-रोस्टर बिन्दु-188, 194, 200, 202, 208, 214, 220, 226, 232,**

**236, 242, 250, 254 एवं 260 = 14 पद।**

(यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 14 पद प्राप्त हो रहा है। अतएव अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षेत्रिज आरक्षण के तहत  $14 \times 35\% = 4.9 = 5$  पद अनुमान्य होगा।)

**पिछड़ा वर्ग-रोस्टर बिन्दु-190, 196, 206 एवं 212 = 04 पद।**

(यहाँ पिछड़ा वर्ग को 4 पद प्राप्त हो रहा है। अतएव पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षेत्रिज आरक्षण के तहत  $4 \times 35\% = 1.4 = 1$  पद अनुमान्य होगा।)

**पिछड़े वर्गों की महिलायें-रोस्टर बिन्दु-218 एवं 252 = 02 पद।**

**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-रोस्टर बिन्दु-187, 197, 207, 217, 227, 237, 247 एवं 257 = 08 पद।**

(यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 8 पद प्राप्त हो रहा है। अतएव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को क्षेत्रिज आरक्षण के तहत  $8 \times 35\% = 2.8 = 3$  पद अनुमान्य होगा।)

**गैर आरक्षित वर्ग-रोस्टर बिन्दु-189, 191, 193, 195, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 229, 231, 233, 235, 239, 241, 243, 244, 245, 249, 251, 253, 255 एवं 259 = 30 पद।**

यद्यपि रोस्टर बिन्दु-219 अनुसूचित जनजाति को कर्णाकित है, परन्तु उसका कोटा पूर्ण होने एवं अनुमान्यतानुसार इसे गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।  
(यहाँ गैर आरक्षित वर्ग को 30 पद प्राप्त हो रहा है। अतएव गैर आरक्षित वर्ग की महिला को क्षेत्रिज आरक्षण के तहत  $30 \times 35\% = 10.5 = 11$  पद अनुमान्य होगा।)

**उपर्युक्त अनुमान्य कराये गए पदों में विभागीय संकल्प संख्या-962 दिनांक-22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षेत्रिज आरक्षण के अन्तर्गत निम्नवत् क्षेत्रिज आरक्षण देय होगा :-**

रोस्टर बिन्दु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को	बधिर और प्रवण शक्ति में हास दिव्यांगता को	चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रभस्तिष्ठ घात, रोगमुक्त कुछ, बीनापन, तेजाव आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्प्रोषण को	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक स्थगता / संकल्प संख्या-962 दिनांक-22.01.2021 की कठिका-(8) के खण्ड-(क) से खण्ड-(घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को	कुल
187 से 200	0	0	0	1	1
201 से 261	1	1	0	0	2
कुल	1	1	0	1	3

विभागीय परिपत्र संख्या-2526 दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 1 (एक) पद क्षेत्रिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा।